

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6) / जे-1854 / 2013 / अलेसे-III / 493

दिनांक :- 12/07/2021

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक प.4(1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/5013 आदेश क्रमांक 555/2019-20 दिनांक 28.01.2020 के क्रम संख्या 55 तथा कनिष्ठ लेखाकारों की अंतरिम वरियता सूची टीएसपी क्षेत्र के आदेश क्रमांक एफ.4(ई) विरिष्ठता/कनि. लेखाकार/अलेसे-III/488 दिनांक 15.04.2021 में क्रम सं० 76 पर अंकित नाम जुगनू सिंह जोशी के स्थान पर जुगनू जोशी पढ़ा जावें।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(1)(6) / जे-1854 / 2013 / अलेसे-III / 493

दिनांक :- 12/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।
7. *वरिष्ठता सूची का निदेश*


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)